

REGISTRATION CERTIFICATE
CHHATTISGARH PARAMEDICAL COUNCIL



Under Chhattisgarh Paramedical Council Act 2001, Registration Section
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THIS IS A TRUE COPY OF THE ENTRY OF THE SPECIALIST IN THE PARAMEDICAL REGISTER.

Reciprocal Registration No. 835 Schedule No. 04

NAME OF TECHNICIAN Sahu Deepa

FATHER'S NAME Shri Shankar Prasad Sahu


ADDRESS
वार्ड नं० - ०८ कोडडीपारा बरबसपुर
तहसील - मनेन्द्रगढ़ जिला - कोरिया (छत्तीसगढ़)

Originally Registered in Nid Paramedical Council New Delhi NOC क्रमांक/अनापत्ति/पंजीयन/3737/2019
दिल्ली, दिनांक 20/02/2020 प्राप्त दिनांक 26.02.2020

QUALIFICATION *Diploma Medical Lab. Technician*

Delhi Paramedical Council Registration No. SCH-27 / DIP / :38105/2019 (Valid as per Delhi Paramedical Council Registration)

DATE OF REGISTRATION
12 5 MAR 2020


Dr. Jitendra Tiwari
Registrar & Secretary
PARAMEDICAL COUNCIL
C.B. RABHAR

This Life Time Registration is valid up to 15 years from the date of issue.

Every registered paramedical person should be careful to send the Registrar immediate notice of any change in his / her address and also to answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his / her correct address may be duly inserted in the Paramedical Council Register.

**कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) छत्तीसगढ़**

Phone No. - 07836-233587 / 232324, E.Mail- dpmu.korea@gmail.com & cmhokorea@gmail.com Fax No. - 07836-232994

क्रमांक / 19 / एन.एच.एम. / 2020

बैकुण्ठपुर दिनांक 6-8-2020

आदेश

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर का पत्र क्रमांक/संचा.स्वा.से./स्टेनौ/457 नवा रायपुर, दिनांक 01.07.2020 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ0ग0 के विज्ञापन क्रमांक/1192/एन.एच.एम./2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 21.07.2020 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्य पर उपस्थिति दिनांक से 03 माह के लिये कोरिया जिले में उनके नाम के सन्मुख दर्शित स्वास्थ्य संस्था में संविदा रिक्त पदों पर मेरीट सूची से चयन कर निर्धारित शर्तों के तहत नियुक्ति की जाती है।

क्र.	आदेश का नाम	पिता / पति का नाम	शिक्षा/पुरुष	व्यक्ति (वर्ग)	व्यक्ति (वर्ग)	पदनाम	एकमुश्त मासिक सलार	विद्यमान स्थल	पदस्थापना स्थल
1	दीपा साहू	अमर कुमार खलखो	महिला	अग्रिज	अग्रिज	लेब टेक्नीशियन	14000/-	बैकुण्ठपुर	कियोस्क सेंटर, कोविड हॉस्पिटल बैकुण्ठपुर

नियुक्ति शर्तें

- सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं, पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 03 माह हेतु किया जावेगा।
- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- संविदा नियुक्ति तीन माह के लिये की जा रही है इसके उपरांत आवश्यकतानुसार सेवा अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति कोरिया द्वारा ली जावेगी।
- आदेश जारी होने के दिनांक से 03 दिवस के अंदर पदस्थापना हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में अपनी उपस्थिति देवे अन्यथा यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमानुसार कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश की पात्रता होगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा नियुक्ति ओदश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
- संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह शर्त दोनों पक्ष पर लागू होगी।
- संविदा अवधि में किसी प्रकार का धरना/हड़ताल में जाने की अनुमति नहीं होगी, धरना/हड़ताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा।